न्यायालय

6.5.25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/9/25	वकील प्रार्थी उप.। TaR तालेडा से रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब पेरोकार सरकार दिनांक 12/9/25 को पेश हो।
12/9/25	पत्रावली ... अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड ... राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य ... है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। पत्रावली तारीख कार्यवाही हेतु दिनांक 23/9/25 को पेश
23/9/25	वकील प्रार्थी उप.। बहस प्रा.पत्र सुनी गई। पेरोकार सरकार ने सीधे बहस की पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/9/25 को पेश हो।
29/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष ... उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ ... अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। ... पत्रावली तारीख कार्यवाही हेतु दिनांक 1/10/25 को पेश हो
1/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता का नाम रहवाजू खां उर्फ जमाल खां किये जाने की स्वीकृति दी जाती है विस्तृत आदेश प्रथक से लिखा जाकर शा.मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
358/प्रा0पत्र/2025	09.05.2025	01.10.2025

1. पप्पू दीन पुत्र जमाल खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला जिला बून्दी, राज.
2. पीर मोहम्मद पुत्र जमाल खाँ जाति मुसलमान नि. ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला जिला बून्दी, राज.

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी। अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री अनिल खिडिया
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136एल आर एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नई 199 पुरानी 183 खसरा संख्या 1142/829 रकबा 0.8175 हैक्टेयर वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है। जिसमे प्रार्थी क्रम 1 पप्पू दीन का हिस्सा 1/2 व प्रार्थी क्रम 2 पीर मोहम्मद का हिस्सा 1/2 निहित है। जिस पर प्रार्थीगण बरसों से काबिज काश्त है तथा लगातार निर्बाघ रूप से कृषि काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण के सभी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड व भामाशाह का्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाल खाँ है जो सहीं एवं सत्य है।

यह कि प्रार्थीगण के पिता नाम जमाबंदी मे ख्वाज खाँ दर्ज है तथा प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित उक्त खातेदारी अधिकार की भूमि मे प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाल खाँ के स्थान पर ख्वाजू खां दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ना ही प्रार्थीगण की किसान आई. डी. बन पा रही है। प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत होने की वजह से प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भुमि खसरा संख्या 1142/ 829 रकबा 0.8175 हैक्टेयर ऑन लाईन के समय राजस्व कर्मचारी की गलती की वजह से प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाल खाँ के स्थान पर ख्वाजू खा दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम जमाल खाँ ही है। एंव प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के समय जब प्रथीगण ने मृत्यू प्रमाण पत्र बनवाया था उसमें भी प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाल खां उर्फ ख्वाजू खा द्ज है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 1142/829 रकबा व.8175 हैक्टेयर वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम ख्वाजू खाँ के स्थान पर जमाल खाँ दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2654 दिनांक 02.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम जमीतपुरा की जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता सं0 77 ख0सं0 1142/829 रकबा 5.01 किस्म नहरी II ख्वाजू वल्द रमजानी कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड था। खातेदार की मृत्यु के पश्चात जर्ये नामा0 सं0 1056 दिनांक 28.2.2014 से मृतक के स्थान पर पीर मोहम्मद, पप्पूदीन पि. ख्वाजूखा, मेहरूना, नूरबानो पुत्रिया ख्वाजूखां , हफीजा पत्नी ख्वाजूखां कौम मुसलमान सा0देह खातेदार अंकन हुआ था। ख्वाजूखां पुत्र रमजानी की मृत्यु हो चुकी है इसे ही जमालखां के नाम से भी जाना जाता था। ख्वाजूखां पुत्र रमजानी व जमाल खां पुत्र रमजानी दोनो एक ही व्यक्ति के नाम थे। पीरमोहम्मद, पप्पूदीन पि0 ख्वाजूखां के स्थान पर पीरमोहम्मद पप्पूदीन पि0 जमाल खां किया जाना उचित बताया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 199 वाके ग्राम जमीतपुरा संवत 2076, आधारकार्ड प्रार्थीगण, बैंक पासबुक प्रार्थीगण, राशनकार्ड प्रार्थीगण एवं जमालखां उर्फ ख्वाजूखां का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकिल प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि खसरा संख्या 1142/829 रकबा व.8175 हैक्टेयर वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम ख्वाजू खाँ के स्थान पर जमाल खाँ दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर नाम दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच है कि प्रार्थीगण के पिता ख्वाजूखां को जमालखा के नाम से भी जाना था। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु पश्चात दिनांक 09.12.2013 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसकी ताकिद करता है। अतः उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 1142/829 रकबा 0.8175 हैक्टेयर वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे प्रार्थीगण के पिता का नाम ख्वाजू खाँ के स्थान पर ख्वाजूखां उर्फ जमाल खाँ दर्ज किये जाने के तहसीलदार तालेडा को निर्देश प्रदत्त किये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner